



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276700
CG-DL-E-01102026-276700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 778]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 848(अ).— केन्द्रीय सरकार, पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) नियम, 1955में-

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“4. उल्लंघन और न्यायनिर्णयन का नोटिस-

(1) पुस्तकालय का प्रधान अधिनियम की धारा 5 के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी होगा।

(2) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी यह समाधान कर लेता है कि किसी प्रकाशक ने अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी प्रकाशक को यह विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा-

(क) उल्लंघन की प्रकृति ;

(ख) अधिनियम के उपबंध जिनका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1)

(घ) अधिनियम और इन नियमों के अधीन पूरी की जाने वाले शर्तें या अधिनियम की धारा 5 उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर उल्लंघन के सुधार के उपाय ।

(3) उपनियम (2) के अधीन स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रानिक मेलया तामील के सबूत के साथ किसी अन्य मोड द्वारा नोटिस तामील किया जाएगा ।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी तारीख, समय और सुनवाई का स्थान उपदर्शित करते हुए नोटिस जारी करेगा और प्रकाशक को सुनवाई के लिए एक युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) जहां प्रकाशक उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उल्लंघन के सुधार के उपाय करने में असफल होता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी अधिनियम की धारा 5क के अधीन जांच कराएगा।

(6) जांच के समय प्रकाशक को या व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिर होना होगा और ऐसे सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो जांच के सबूत के समर्थन में सुसंगत हों ।

(7) यदि प्रकाशक हाजिर होने में असफल होता है तो न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले में आगे कार्रवाई करेगा और एकपक्षीय विनिश्चय करेगा ।

(8) न्यायनिर्णयन अधिकारी अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए लिखित में युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा ।

(9) उपनियम (8) के अधीन पारित आदेश को प्रभावी करने के लिए प्रकाशक और अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या के लिए राष्ट्रीय अभिकरण को, पारित आदेश की एक प्रति अधिनियम की धारा 5 के अधीन दी जाएगी ।”;

(ii) प्रतिस्थापित नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4क. अपील- (1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन एक अपीलीय प्राधिकारी होगा ।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित नियम 4 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलीय प्राधिकारी को अपील करेगा ।

(3) प्रत्येक अपील, उसमें अंतर्विष्ट मामले के तथ्य और अपील के आधार सहित ऐसे दस्तावेज की प्रतियों के साथ, जिनपर अपीलकर्ता निर्भर होने का प्रस्ताव करता है, उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, लिखित में होगी ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील करने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण हैं, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कोई अपील स्वीकार कर सकेगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी कोई आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(6) अपीलीय अधिकारी युक्तियुक्त आदेश लिखित में पारित करेगा और आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अपीलकर्ता को, न्यायनिर्णयक अधिकारी को और अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या के लिए राष्ट्रीय अभिकरण को संसूचित करेगा ।”।

[फा. सं. एल-13/5/225-पुस्त.-भाग(1)]

कमलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.नि. आ. 587, तारीख 11 मार्च, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 106, तारीख 16 दिसंबर, 1981 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2026

G.S.R. 848(E).— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delivery of Books (Public Libraries) Rules, 1955, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delivery of Books (Public Libraries) Rules, 1955.—

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

“4. Notice of contravention and adjudication.— (1) The Head of the Library shall be the adjudicating officer under section 5 A of the Act.

(2) Where the adjudicating officer is satisfied that a publisher has contravened the provisions of the Act, the adjudicating officer shall issue a notice to the publisher specifying,—

- a. the nature of the contravention;
- b. the provisions of the Act purported to have been contravened;
- c. the measures to rectify the contravention within the time specified under sub-section (1) of section 5;
- d. the conditions to be fulfilled under the Act or these rules or to take measures to rectify contravention within the time specified under sub-section (1) of section 5 of the Act.

(3) The notice under sub-rule (2) may be served by speed post, electronic mail or any other mode with proof of service.

(4) The adjudicating officer shall issue the notice indicating the date, time and place of hearing and shall afford the publisher a reasonable opportunity of being heard.

(5) Where the publisher fails to take measures to rectify the contravention within the period specified under sub-rule (2), the adjudicating officer shall hold an inquiry under section 5A of the Act.

(6) At the time of inquiry, the publisher may appear either in person or through an authorised representative, submit written representations and produce such records or documents in support of the proof as may be relevant to the inquiry.

(7) Where the publisher fails to appear, the adjudicating officer may proceed to decide the matter *ex-parte*.

(8) The adjudicating officer shall, after considering the material available on record pass a reasoned order in writing imposing such penalty as may be provided under section 5 of the Act.

(9) A copy of order passed under sub-rule (8) shall be communicated to the publisher and the National Agency for International Standard Book Number for giving effect to the order passed under section 5 of the Act.”;

(ii) after rule 4 so substituted, the following rule shall be inserted, namely:—

“4A. Appeal.— (1) The Secretary, Ministry of Culture shall be the appellate authority under sub-section (1) of section 5 B of the Act.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the adjudicating officer under rule 4 may prefer an appeal to the appellate authority within thirty days from the date of receipt of the order appealed against.

(3) Every appeal shall be in writing, contain the facts of the case and the grounds of appeal, be accompanied by a copy of the order appealed against along with copies of such documents as the appellant proposes to rely upon.

(4) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the period specified in sub-rule (2), if satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within that period.

- (5) The appellate authority shall afford the appellant a reasonable opportunity of being heard before passing any order.
- (6) The appellate authority shall pass a reasoned order in writing and communicate the same to the appellant, adjudicating officer and National Agency for International Standard Book Number for giving effect to the order.”.

[F. No. L-13/5/2025-LIB.-Part (1)]

KAMLESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part. II, Sec. 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 587, dated the 11th March, 1955 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 106, dated the 16th December, 1981.